न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—109 / 17

1. छीतरमल पुत्र स्व. श्री रोडूराम, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

01 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री रामकुमार, **(दौराने अपील फौत)**

1 / 1. कजोड़मल शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा,

1 / 2. गोपाल लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा,

1 / 3. मंगलराम शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, समस्त निवासीगण कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

1 / 4. शांती देवी पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, पत्नी देवीनारायण शर्मा, निवासी ग्राम बासडी, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

1 / 5. कौशल्या देवी पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पत्नी श्री सीताराम शर्मा, निवासी ग्राम मंदाउ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

1 / 6. नन्छी देवी पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पत्नी रामजीलाल शर्मा निवासी ग्राम बासडी भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

1 / 7. भूली देवी पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

02. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री रामकुमार,

03. रानेश्वर पुत्र स्व. श्री देवालाल,

04. सीताराम पुत्र स्व. श्री देवालाल,

05. गोपाल पुत्र स्व. श्री देवालाल,

06. प्रभाती पत्नी स्व. श्री देवालाल,

07. मांगीलाल पुत्र स्व. घासीराम,

08. गंगासहाय पुत्र स्व. श्री घासीराम,

09. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री घासीराम, समस्त जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, समस्त निवासीगण महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

11. उप पंजीयक प्रथम, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 18.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय जयपुर के आदेश दिनांक 24.12.2010 (प्रकरण संख्या 38 / 2010) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट मिन अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रारम्भिक आपत्ति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि धारा 136 में भू अभिलेख अधिकारी को पक्षकारों की सहमति से लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त करने का अधिकार है जबकि मौजूदा प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटि नही बल्कि अपीलान्ट/मिन अप्रार्थी संख्या 1 अपने 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है, का राजस्व रिकार्ड में उसका हिस्सा 1/2 अंकित है जो उसके पिता के समय से है तथा यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण उपरोक्त विवादित भूमि के खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के न्यायालय में नियमित वाद दायर कर रखा है तथा प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावें यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारिज नही किया जा सकता तो मिन अप्रार्थी/अपीलान्ट को जवाब हेतु अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर ने न्यायिक गरिमा को ताक में रखकर बिना किसी आधार के यह अंकित कर दिया कि उभयपक्षों की बहस सुनी गई तथा बिना किसी आधार के बिना प्रार्थी के प्रारिम्भक आपत्ति के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये ही विपक्षी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर इन्द्राज दुरूस्ती हेतु आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उनके समक्ष अपीलान्ट/मिन अप्रार्थी ने विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की थी तथा प्रार्थना पत्र की पोषणीयता को चुनौती दी थी, अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व बनता था कि वह अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारिम्भक आपत्ति के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करे यदि अपीलान्ट का प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र खारिज होता तो उस स्थिति में उसे धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक गरीमा को ताक में रखकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.12.2010 पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि उभयपक्ष की बहस सुनी जबकि अपीलान्ट के अधिवक्ता को यह जानकारी तक नही है कि उन्होने किस दिनांक को बहस सुनी व किस दिनांक को निर्णय पारित किया, अपीलान्ट के अधिवक्ता को यह कहता जाता रहा कि प्रकरण में आगामी तारीख पेशी निर्धारित नही की है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट ने

P.T.O.

संभागीय आ
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया था कि उसके नाम 1/2 हिस्से की भूमि का इन्द्राज उसके पिता के समय से है तथा वह अपने हिस्से पर काबिज है जो चालीस वर्ष से भी अधिक समय से भूमि उसके नाम अंकित है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षपातपूर्ण निर्णय पारित करते हुए विपक्षीणगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके भारी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने से पूर्व भूमिधारको का जवाब प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है लेकिन मौजूदा प्रकरण में न तो उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट का जवाब प्राप्त किया तथा न ही उसे सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान किया तथा न ही भूमिधारक का जवाब प्राप्त किया उसके बावजूद मनमाने तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्ट के भूमि में खातेदारी अधिकार समाप्त कर करने के आदेश पारित किये है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नही दी, न ही उसके अधिवक्ता को निर्णय के बारे में न्यायालय ने अवगत कराया तथा ना ही प्रकरण में कोई आगामी तारीख पेशी निर्धारित की, दिनांक 25.02.2011 को अपीलान्ट अपने परिचित के साथ न्यायालय मे प्रकरण की प्रकृति के बारे में जानकारी करने गया तो उसे न्यायालय के रीडर द्वारा बताया गया कि प्रकरण में दिनांक 24.12.2010 को ही निर्णय किया जा चुका है, तत्पश्चात् अपीलान्ट ने बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 25.02.2011 को ही निर्णय की नकल प्राप्त की लेकिन अपीलान्ट अस्वस्थ हो जाने के कारण दिनांक 25.02.2011 से दिनांक 27.03.2011 तक की अवधि को मुजरा दिया जाकर अपील को अन्दर अवधि शुमार किया जाना आवश्यक है तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2010 प्रकरण संख्या 30/2010 उनवनी लक्ष्मीनारायण बनाम छीतरमल को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज को यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया।अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.09.17 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया गया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय नही किया गया हैं और प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण कर दिया गया है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2010 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आंदेश दिनांक 24.12.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.09.10 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति का विधि सम्मत निस्तारण पश्चात् प्रकरण का पुनः गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
सभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सभागीय आयुक्त
जयपुर।